डॉ. बेनॉय इदिकुला बाबू प्रतिनिधि पी.ओ.ए होल्डर पी. मैं बाबू और ओआरएस। आदि।

बनाम

डॉ निशा सायरा बेनॉय और एएनआर आदि।

(2018 की सिविल अपील संख्या 11262-11264) 22 नवंबर, 2018 [कुरियन जोसेफ और हेमंत गुप्ता, जेजे।] तलाक अधिनियम, 1869 - धारा 10-ए - वैवाहिक विवाद - अदालत द्वारा सहायता प्राप्त मध्यस्थता और सुलह - ने कहा: पक्षकारों के बीच लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे की पूरी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने अलग होने का एक सचेत निर्णय लिया है, उन्हें नियमित प्रक्रिया से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं है - अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाह आपसी सहमति से तलाक की डिक्री द्वारा भंग कर दिया गया - डिक्री का हिस्सा बनने के लिए निपटान का विलेख - 10-ए, 1869 अधिनियम के तहत आवेदन की अनुमति दी जाती है - चूंकि पक्षों ने विवाद का निपटारा कर लिया है, इसलिए संबंधित पासपोर्ट अधिकारी को नाबालिग बच्चे के लिए प्रतिवादी-मां द्वारा विधिवत दायर आवेदन को संसाधित करने और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, तिरुवनंतपुरम के पास जमा 1,00,000 रुपये प्रतिवादी को वापस करने के लिए निर्देशित किया गया है - पक्षकारों के बीच लंबित विभिन्न मामलों का निपटारा / खारिज/रद्द कर दिया जाता है। मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने कहा: 1.1 निपटान का विलेख डिक्री का हिस्सा होगा। पक्षकारों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मुकदमे की पूरी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने अलग होने का एक सचेत निर्णय लिया है, पक्षकारों को नियमित प्रक्रिया से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10-ए के तहत उनके आवेदन को अनुमति दी जाती है और आपसी सहमति से तलाक की डिक्री द्वारा उनकी शादी को भंग कर दिया जाता है। स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में पति द्वारा पत्नी को भुगतान की गई 1.25 करोड़ रुपये की राशि को आयकर के उद्देश्य से आय के रूप में नहीं माना जाएगा। [पैरा 6, 7] [390-सी-ई]

1.2 चूंकि पक्षों ने विवाद का निपटारा कर लिया है, इसलिए संबंधित पासपोर्ट अधिकारी को नाबालिग बच्चे के लिए प्रतिवादी-मां द्वारा दायर आवेदन को विधिवत रूप से संसाधित करने का निर्देश दिया जाता है। उक्त आवेदन किसी भी लंबित मुकदमे के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा, क्योंकि 388 डॉ. बेनॉय इदिकुला बाबू प्रतिनिधि पी.ओ.ए. आई बाबू बनाम डा निशा सायरा बेनॉय

पक्षकारों ने सभी विवादों को सुलझा लिया है। चूंकि दोनों पक्षों ने विवाद का निपटारा कर लिया है, इसलिए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी तिरूवनंतपुरम के पास जमा की गई 1,00,000 रुपये की राशि प्रतिवादी को वापस कर दी जाएगी। [पैरा 8, 9] [390-ई-एफ]

1.3 पक्षकारों द्वारा निपटान को ध्यान में रखते हुए, केरल उच्च न्यायालय के समक्ष दायर मामलों और परिवार न्यायालय, तिरुवल्ला के समक्ष लंबित मामलों का निपटान किया जाता है। न्यायिक

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, तिरुवल्ला और न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, रन्नी के समक्ष लंबित मामलों का निपटारा किया जाता है।

केरल उच्च न्यायालय के समक्ष सी.आर.एम.सी.सं.7353/2015 और सी.आर.एम.सी.सं.3194/2017 में लंबित मामलों को खारिज कर दिया गया है। न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय-XI, तिरुवनंतपुरम और न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, तिरुवल्ला, केरल के समक्ष लंबित मामलों को रद्द कर दिया जाता है। भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के तहत शुरू की गई सभी कार्यवाही को हटा दिया जाएगा। [पैरा 11-14] [391-A-C] सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की सिविल अपील संख्या 11262-11264। केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 29.03.2017 के निर्णय और आदेश से एर्नाकुलम में अपील संख्या 737, 956 और 955 2015 की अपील संख्या 737, 956 और 955। 2018 की सिविल अपील संख्या 11265-11266 के साथ। अपीलकर्ताओं के लिए विपिन नायर, पी. बी. सुरेश, कार्तिक जयशंकर, अंशुमान बहादुर, वकील। मनोज वी. जॉर्ज, सुश्री शिल्पा लिजा जॉर्ज, बी. डी. दास, विग्नेश राम के.एम., सुश्री अशिता अरोड़ा, अमित कुमार, कमलेंद्र मिश्रा, सानंद रामकृष्णन, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता। न्यायालय का निर्णय कुरियन, जे.1 द्वारा दिया गया था।

अवकाश स्वीकृत।

2. यह एक ऐसा मामला है जहां इस अदालत ने निपटान हेतु नई विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग किया, अर्थात्, अदालत की सहायता से मध्यस्थता और सुलह हुआ।

3. अपीलकर्ता ने 2015 के वैवाहिक अपील संख्या 737, 955 और 956 में इराकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 29.3.2017 के आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

4. यह देखते हुए कि निपटान का एक तत्व है, हमने शुरू में मध्यस्थता के लिए पक्षकारों को निर्देशित किया। प्रारंभिक प्रयास असफल रहा। इसके बाद, इस न्यायालय ने पक्षकारों को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 14 एस.सी.आर.
हमने उनके साथ लंबी बातचीत की। अंत में, मौद्रिक पहलू पर, न्यायालय द्वारा सुझाई गई शर्तों पर एक समझौता किया गया है। फिर भी कुछ मामूली विवाद थे।

5. हमने श्री वी. शेखर, विद्वान वरिष्ठ वकील की सहायता मांगी और हमें यह जानकर खुशी हुई कि विद्वान वरिष्ठ वकील शेष विवादों पर सफलतापूर्वक मध्यस्थता करने में सक्षम थे और पक्ष एक समझौते पर पहुंच गए हैं।

6. एलए के साथ निपटान का विलेख प्रस्तुत किया गया है। इसे रिकॉर्ड में लिया जाता है। निपटान का विलेख डिक्री का हिस्सा होगा। समझौते के संदर्भ में, पार्टियों ने 1869 के तलाक अधिनियम की धारा 10-ए के तहत एक आवेदन दायर किया है। पक्षकारों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मुकदमे की पूरी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते

हुए कि उन्होंने अलग होने का एक सचेत निर्णय लिया है, हमारा विचार है कि पार्टियों को नियमित प्रक्रिया से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, तलाक अधिनियम की धारा 10-ए के तहत उनके आवेदन को स्वीकार किया जाता है और डॉ बेनॉय इडिकुला बाबू और डॉ निशा सायरा बेनॉय के बीच विवाह को आपसी सहमति से तलाक की डिक्री द्वारा भंग कर दिया जाता है।

7. हम यह स्पष्ट करते हैं कि पति द्वारा पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में भुगतान की गई 1.25 करोड़ रुपये की राशि को आयकर के उद्देश्य से आय के रूप में नहीं माना जाएगा।

8. चूंकि पक्षों ने विवाद सुलझा लिया है, इसलिए हम संबंधित पासपोर्ट अधिकारी को नाबालिग बच्चे दानिल चाको बेनॉय के लिए मां डॉ निशा सायरा बेनॉय द्वारा दायर आवेदन को विधिवत रूप से संशोधित करने का निर्देश देते हैं। आवेदन को किसी भी लंबित मुकदमे के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा, क्योंकि पक्षकारों ने सभी विवादों का निपटारा कर दिया है।

9. चूंकि दोनों पक्षों ने विवाद सुलझा लिया है, इसलिए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी तिरुवनंतपुरम के पास जमा 1,00,000 रुपये (एक लाख) की राशि मां-निशा सायरा बेनॉय को वापस कर दी जाएगी।

10. उपरोक्त पक्षों द्वारा किए गए निपटान को ध्यान में रखते हुए, केरल उच्च न्यायालय के समक्ष दायर मामले अर्थात डब्ल्यूपी (सी) संख्या 28239/2009, डब्ल्यूपी (सी) संख्या 24558/2013, डब्ल्यूपी (सी) संख्या 9832/2014, डब्ल्यूपी (सी) संख्या 9832/2014, डब्ल्यूपी (सी) संख्या 19111/2010 और डब्ल्यूपी (सी) संख्या 2011/2010 के समक्ष लंबित मामले ओ.पी.संख्या 630/2010 और ओ.पी.संख्या 63 1/2010 में तिरुवल्ला का निपटान कर दिया गया है। सीसी संख्या 757/2010 में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, तिरुवल्ला और एफआईआर संख्या 392/2013 और सीआरएलएमपी संख्या 7499/2013 में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, रन्नी के समक्ष लंबित मामलों का निपटारा किया जाता है। डॉ. बेनॉय इदिकुला बाबू द्वारा पी.ओ.ए. धारक पी.आई.बाबू वी.निशा सायरा बेनॉय [कुरियन, जे.]

11. केरल उच्च न्यायालय के समक्ष सी.आर.एम.सी.सं.7353/2015 और सी.आर.एम.सी.सं.3194/2017 में लंबित मामलों को खारिज किया जाता है।

12. एफआईआर संख्या 584/2010 में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय-XI, तिरुवनंतपुरम और एफआईआर संख्या 403/2009 में सीसी संख्या 709/2012 में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, तिरुवल्ला, केरल के समक्ष लंबित मामलों को रद्द किया जाता है।

13. भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के तहत शुरू की गई सभी कार्यवाही को हटा दिया जाएगा। हम श्री वी शेखर और दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा किए गए प्रयासों के लिए अपनी ईमानदारी से सराहना करते हैं, जिन्होंने पक्षों के बीच विवाद के निपटारे के लिए काफी समय समर्पित किया है। हम पार्टियों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए सराहना भी दर्ज करते हैं।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटान किया जाए। दिव्या पांडे मामलों का निपटारा।

(श्वेता यादव)

ए०सी०जे०एम०/अपर सिविल जज (सी०डि०)

न्यायालय सं० 2, बरेली।